

सत्यमेव जयते

RAJ KUMAR GUPTA
LICENSE NO. 11
TEHSIL, GHAZIABAD

2500

INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No. : IN-UP46257543910565T
Certificate Issued Date : 10-Mar-2021 05:11 PM
Account Reference : NEWIMPACC (SV) up14000304/ GHAZIABAD/ UP-GZB
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1400030479770947353402T
Purchased by : PARK TOWN COMPLEX PVT LTD
Description of Document : Article 23 Conveyance
Property Description : KHASRA NO:1660 VILLAGE SHAHPUR BAMHETA PARGANA
DASNA GHAZIABAD U.P.
Consideration Price (Rs.) :
First Party : NITIN YADAV UNDER GUARDIAN SHOBHA
Second Party : PARK TOWN COMPLEX PVT LTD
Stamp Duty Paid By : PARK TOWN COMPLEX PVT LTD
Stamp Duty Amount(Rs.) : 1,13,750
(One Lakh Thirteen Thousand Seven Hundred And Fifty only)

Locked By

Sub Registrar
Ghaziabad



-----Please write or type below this line-----

श्री मा

For PARK TOWN COMPLEX PVT. LTD.

Authorized Signatory

QT 0001323772

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shoilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.



विक्रय-पत्र का संक्षिप्त विवरण

1. भूमि का प्रकार – कृषि
(कृषि/आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक/अन्य)
2. वार्ड/परगना – डासना
3. मौहल्ला/ग्राम – शाहपुर बम्हैटा. परगना डासना, तहसील व जिला गाजियाबाद।
4. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नम्बर) खाता संख्या 01555 के खसरा संख्या 1660
5. मापन की इकाई (हैक्टेयर/वर्ग मीटर) हैक्टेयर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल 0.0229375 हैक्टेयर
7. सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार) 500 मीटर से अधिक
8. अन्य विवरण (9 मीटर रोड/कार्नर इत्यादि) N. A.
9. सम्पत्ति का प्रकार – कृषि भूमि
10. प्रतिफल की धनराशि 16,25,000/—रुपये
11. पेड़ कुँआ नलकूप व बोरिंग व आबादी नहीं है

प्रथम पक्ष/विक्रेता की संख्या (1) द्वितीय पक्ष/क्रेता की संख्या (1)

विक्रेता का विवरण:-

नाम : नितिन यादव नाबा0 (जन्मतिथि 10.12.2005) पुत्र स्व0 चाहतराम
द्वारा प्राकृतिक संरक्षिका एवं माता श्रीमती शोभा पत्नी श्री चाहतराम
स्थाय पता : ग्राम शाहपुर बम्हैटा. परगना डासना, तह0 व जिला गाजियाबाद।
पहचान पत्र नं0 : आधार नं. 4101 5176 1731

क्रेता का विवरण:-

मैसर्स पार्क टाउन काम्प्लेक्स प्राईवेट लिमिटेड, 11, न्यू राजधानी एन्क्लेव, विकास मार्ग,
दिल्ली- 110092 द्वारा बीरसिंह पुण्डीर पुत्र श्री कुन्दन सिंह निवासी- 10, न्यू राजधानी
एन्क्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली- 110092
कम्पनी का पैन नं0 : AABCE7742F

शोभा

For PARK TOWN COMPLEX PVT. LTD.

Authorized Signatory

आवेदन सं०: 202100739032451

विक्रय पत्र

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 2500

वर्ष: 2021

प्रतिफल- 1625000 स्टाम्प शुल्क- 113750 बाजारी मूल्य - 1625000 पंजीकरण शुल्क - 16250 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 100 योग: 16350


श्री M/s Park Town Complex Private Limited द्वारा

बीर सिंह पुंडीर अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,

पुत्र श्री स्व० कुंदन सिंह पुंडीर

व्यवसाय: अन्य

निवासी: 10 न्यू राजधनी एन्क्लेव विकास मार्ग नई दिल्ली

श्री, M/s Park Town Complex Private Limited
द्वाराबीर सिंह पुंडीर अधिकृत
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 15/03/2021

एवं 02:53:51 PM बजे

निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

संजीव कुमार गौतम प्रभारी


उप निबंधक: सदर प्रथम

गाजियाबाद

15/03/2021

संजीव कुमार गौतम

निबंधक लिपिक



विक्रय-पत्र

विक्रय पत्र अंकन : 16,25,000/- रुपये ।

स्टाम्प पेपर अंकन : 1,13,750/- रुपये ।

विवरण विक्रय भूमि :- कृषि भूमि खाता संख्या 01555 के खसरा संख्या 1660 कुल रकबा 0.3670 हैक्टेयर में से 0.0229375 हैक्टेयर भूमि विक्रेता का सम्पूर्ण हिस्सा है, जिसमें विक्रेता (नितिन यादव नाबा0 पुत्र स्व0 चाहतराम द्वारा प्राकृतिक संरक्षिका एवं माता श्रीमती शोभा पत्नी स्व0 चाहतराम) का 1/16 भाग यानि 0.0229375 हैक्टेयर भूमि के मालिक व काबिज है। जोकि खतौनी फसली वर्ष 1424-1429 के अनुसार विक्रय की जा रही है, ग्राम शाहपुर बम्हैटा. परगना डासना, तहसील व जिला गाजियाबाद में स्थित है।

विक्रीत भूमि कृषि भूमि है। जो किसी भी मुख्य मार्ग अथवा लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है। भूमि मुख्य मार्ग से लगभग 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है तथा संक्रमणीय भूमिधरी की भूमि है। जिसका सरकारी सर्किल रेट रुपये 6,53,50,000/- रुपये प्रति हैक्टेयर से भूमि की मालियत अंकन 14,98,966/- रुपये (चौदह लाख अठान्बे हजार नौ सौ सियाछठ रुपये मात्र) होते हैं, लेकिन प्रथम पक्ष ने सौदा द्वितीय पक्ष से अंकन 16,25,000/- रुपये (सोलह लाख पचीस हजार रुपये मात्र) में तय किया है जोकि भूमि के बाजारी मूल्य के अनुसार है जोकि सरकारी सर्किल रेट से अधिक है। स्टाम्प बाजारी मूल्य पर ही नियमानुसार अदा किया गया है।

उपरोक्त वर्णित भूमि की तहसीलदार, महोदय, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 08.03.2021 को कृषि भूमि होने की पुष्टि की गई है। प्रतिलिपि संलग्न है एवं उपरोक्त वर्णित भूमि के खसरे की प्रतिलिपि संलग्न है।

शोभा

For PARK TOWN COMPLEX PVT. LTD.

Authorized Signatory

आवेदन सं०: 202100739032451

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 2500

वर्ष: 2021

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त
विक्रेता: 1


श्रीमती नितिन यादव के द्वारा शोभा, पत्नी श्री स्व० चाहत
राम

निवासी: गाँव शाहपुर बम्हैटा जिला गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

शोभा

क्रेता: 1



श्री M/s Park Town Complex Private Limited के द्वारा
बीर सिंह पुंडीर, पुत्र श्री स्व० कुंदन सिंह पुंडीर

निवासी: 10 न्यू राजधानी एन्क्लेव विकास मार्ग नई दिल्ली

व्यवसाय: अन्य



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता: 1

श्री वेद प्रकाश गर्ग, पुत्र श्री चतर सिंह

निवासी: AC-175C शालीमार बाग दिल्ली

व्यवसाय: अन्य

[Signature]




पहचानकर्ता: 2

श्री रोबिन यादव, पुत्र श्री अजयबीर सिंह

निवासी: गाँव शाहपुर बम्हैटा जिला गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

[Signature]



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अगुठे नियमानुसार
लिए गए हैं।

टिप्पणी:

संजीव कुमार गौतम प्रभारी

उप निबंधक: सदर प्रथम

गाजियाबाद

संजीव कुमार गौतम

निबंधक लिपिक

नितिन यादव नाबा० पुत्र स्व० चाहरराम द्वारा प्राकृतिक संरक्षिका एवं माता श्रीमती शोभा पत्नी स्व० चाहरराम निवासी ग्राम शाहपुर बम्हैटा, परगना डासना, तहसील व जिला गाजियाबाद (प्रथम पक्ष/विक्रेता)

एवं

मैसर्स पार्क टाउन काम्पलेक्स प्राईवेट लिमिटेड, 11, न्यू राजधानी एन्क्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली- 110092 द्वारा बीरसिंह पुण्डीर पुत्र श्री कुन्दन सिंह निवासी- 10, न्यू राजधानी एन्क्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली- 110092 (फरीक दायम/क्रेता)। (कम्पनी का पेन नंबर **AABCE7742F**) (द्वितीय पक्ष/क्रेता)

1. विक्रीत भूमि कृषि भूमि है जिसके विक्रय में स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 का सत्यतापूर्वक अनुपालन किया गया है। यह भूमि इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास हेतु क्रय की जा रही है जिसके लिये क्रेता के पास इन्टीग्रेटेड टाउनशिप विकसित करने का लाइसेंस भी है तथा स्टाम्प शासनादेश संख्या 2835/8-1-09-68 विविध/09 दिनांक 11.08.2009, जिलाधिकारी गाजियाबाद की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान लिये गये निर्णयानुसार तथा जिलाधिकारी गाजियाबाद के पत्र संख्या 48/सी०आर०सी०/11 दिनांक 31.01.2011 के अनुसार स्टाम्प नियमानुसार अदा किया जा रहा है।

शेखा

For PARK TOWN COMPLEX PVT. LTD.

Authorized Signatory




2. उक्त विक्रीत भूमि आज दिन तक मुझ फरीक अब्बल (विक्रेता) की ओर से हर प्रकार के बन्धक, भार व सरकारी देनदारी आदि से मुक्त है। कही अन्य जगह आड़ रहन, बय, हिबै, महायदाबय व जमानत सरकारी व अर्द्ध सरकारी व निजी रूप आदि में ग्रस्त नहीं है। और न उक्त पर कोई बैंक ऋण व बिजली या अन्य किसी प्रकार का बकाया है। इस विक्रय भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद-ग्रस्त मामला किसी भी न्यायालय व सरकारी व अर्द्धसरकारी विभाग/कार्यालय में न तो दर्ज है और न ही लम्बित है। और न ही किसी निर्णीत आदेश का क्रियान्वन ही लम्बित है यानि हर प्रकार से सुरक्षित है।
3. विक्रीत मिल्कियत उक्त के विक्रय में कोई दोष व त्रुटि नहीं है हर प्रकार के वाद विवाद से मुक्त है। उपरोक्त वर्णित/उल्लेखित भूमि के संबंध में मुझ विक्रेता ने किसी अन्य व्यक्ति, कम्पनी आदि के हक में कोई मौखिक करार, वसीयतनामा व विक्रय अनुबंध-पत्र, विक्रय-पत्र, किसी भी कार्यालय में पंजीकृत व अपंजीकृत, पूर्व में न तो निष्पादित किया है और न ही कराया है और न ही कही नोटरी द्वारा सत्यापित हुआ है। यदि भविष्य में इस संबंध में कोई भी वसीयतनामा, विक्रय अनुबंध/विक्रय पत्र प्रस्तुत करके विवाद उत्पन्न किया जाता है तो वह विवाद अमान्य व निष्प्रभावी होगा। तथा इसके जिम्मेदार फरीक अब्बल, उनके वारिसान, फरीक अब्बल की प्राकृतिक संरक्षिका एवं माता होंगी।

2/2/20

PG PARK TOWN COMPLEX PVT. LTD.

Authorized Signatory







4. यह कि विक्रेता की प्राकृतिक संरक्षिका एवं माता को नाबालिग विक्रेता की पालन-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा, भलाई, कल्याण एवं भविष्य में उन्नति के लिए पैसों की आवश्यकता है। विक्रेता की माता एवं अन्य भाई-बहन भी उपरोक्त खसरा में स्थित अपने सम्पूर्ण हिस्से की भूमि का बैनामा क्रेता के पक्ष में कर दिया है। इस स्थिति में विक्रेता के द्वारा अपने हिस्से की कृषि भूमि जिसका क्षेत्रफल केवल 0.0229375 हैक्टेयर है, का उचित उपयोग कर पाना सम्भव नहीं है एवं विक्रेता की प्राकृतिक संरक्षिका एवं माता को उक्त भूमि की उचित कीमत क्रेता कम्पनी से मिल रही है। अतः विक्रेता की प्राकृतिक संरक्षिका एवं माता ने अपनी खुशी से बिना किसी दबाव व धमकाव के, बरजामंदी, शुद्ध बुद्धि व स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में अपने पारिवारिक सहमति से मय समस्त अधिकारी मालिकाना, काबिजाना, दाखिली-खारिजी, काश्त भराई, हर किस्म कब्जा गर्ज के जो कुछ भी अधिकार विक्रेता को विक्रीत भूमि से प्राप्त थे उससे कुछ बचा हुआ नहीं रहा है आदि को आज की तारीख में विक्रय धनराशि अंकन 16,25,000/- रुपये (सोलह लाख पचीस हजार रुपये मात्र) के एवंज में बहाय फरीक दायम क्रेता उपरोक्त मैसर्स पार्क टाउन काम्पलेक्स प्राईवेट लिमिटेड, 11, न्यू राजधानी एन्क्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली-110092/द्वितीय पक्ष को बैय कर दिया है यानि कतई बेच दिया है और भूमि की कुल विक्रय धनराशि विक्रेता की प्राकृतिक संरक्षिका एवं माता ने नाबालिग विक्रेता के नाम में जारी चैकों के द्वारा क्रेता से प्राप्त कर ली है। अब कुछ भी विक्रय धनराशि बाकी नहीं रही है।

श्रेष्ठा

For PARK TOWN COMPLEX PVT. LTD.

Authorized Signatory






5. यदि भविष्य में विक्रीत भूमि से सम्बन्धित शेष बचे सह-खातेदारों द्वारा भूमि के कब्जे को लेकर कोई आपत्ति की जाती है तो इसके जिम्मेदार पूर्णरूप से विक्रेता की प्राकृतिक संरक्षिका एवं माता होगी तथा क्रेता को पूर्ण अधिकार होगा कि वह विक्रेता की प्राकृतिक संरक्षिका एवं माता की चल-अचल सम्पत्ति से अपने नुकसान की भरपाई करेगा। यदि भविष्य में विक्रेता के द्वारा अपने हिस्से की उपरोक्त भूमि के विक्रय के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कोई भी वाद-विवाद क्रेता के विरुद्ध किया जाता है तो इसकी पूर्णरूप से जिम्मेदार विक्रेता की प्राकृतिक संरक्षिका एवं माता होंगी तथा विक्रेता की प्राकृतिक संरक्षिका एवं माता अपनी चल-अचल सम्पत्ति से विक्रेता के सभी प्रकार के वाद-विवाद का उपचार करेंगी। विक्रीत भूमि को संलग्न सजरा प्लान में दर्शाया गया है। जिसका कब्जा मौके पर क्रेता को पूर्ण वास्तविक रूप से करा दिया है जिसके क्रेता पूर्णतः मालिक काबिज दाखिल बन गये हैं उनको सर्वथा अधिकार है कि वह उक्त भूमि को जिस प्रकार चाहे बहैसियत मालकाना प्रयोग में लावें।
6. विक्रेता, विक्रीत भूमि के बाबत समस्त कागजात में बजरिये बैनामा दाखिल खारिज मालकागजात में कराकर क्रेता का नाम दर्ज करवायेगें या क्रेता स्वयं दर्ज करवा सकते हैं तथा आवश्यक प्रपत्रों पर जहाँ चाहे हस्ताक्षर प्रथम पक्ष से करा सकते हैं, विक्रेता / प्रथम पक्ष को कोई एतराज नहीं होगा। अतः अब विक्रय पश्चात विक्रीत भूमि की मिलकियत, भूमि में निहित व उसके मूल धन तथा किसी अंश से विक्रेता व वारिसान विक्रेता का, अब कोई संबंध नहीं रहा और न कभी रहेगा। तथा इस विक्रय के बाद भूमि से उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के कोई भी लाभ का अधिकारी सिर्फ और सिर्फ क्रेता कम्पनी का होगा।

श्री ५५

For PARK TOWN COMPLEX PVT. LTD.

Authorized Signatory




7. विक्रीत भूमि पर आज दिन तक प्रथम पक्ष/विक्रेता की ओर कोई भार निकला और निकला हुआ भार क्रेता या स्थानापन को अपने पास से अदा करना पड़ा अथवा विक्रेता के अनाधिकार से या विक्रेता के उत्तराधिकारियों की दावेदारी या किसी कानूनी नुकस आदि से विक्रय भूमि कुल अथवा उसका कोई अंश क्रेता या उसके वारिसान या स्थानापन के कब्जे मालकाना से निकल जाये, तो हर ऐसी दशा के उत्पन्न होने पर प्रथम पक्ष/विक्रेता, उसके उत्तराधिकारीगण एवं विक्रेता की प्राकृतिक संरक्षिका एवं माता पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगी तथा क्रेता व उसके स्थानापन व उत्तराधिकारीगणों को पूर्ण अधिकार होगा कि अपने पास से अदा किये गये भार की तथा कब्जे से निकल जाने वाली भूमि की धनराशि को मय हर्जे खर्चे प्रथम पक्ष विक्रेता, विक्रेता वारिसान एवं विक्रेता की प्राकृतिक संरक्षिका एवं माता की चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वसूल करा सकते है जिस पर प्रथम पक्ष/विक्रेता एवं विक्रेता की प्राकृतिक संरक्षिका एवं माता को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. विक्रय पत्र का समस्त खर्चा क्रेता ने वहन किया है।
9. विक्रेता एवं विक्रेता की प्राकृतिक संरक्षिका एवं माता द्वारा क्रेता कम्पनी को मौके पर भौतिक रूप से कब्जा करा दिया गया है।

20/02/20

For PARK TOWN COMPLEX PVT. LTD.

Authorized Signatory




10. अतः यह विक्रय पत्र खूब सोच समझ कर, सुनकर पढ़ कर गवाहों की उपस्थिति में लिख दिया गया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें।
11. विक्रेता की प्राकृतिक संरक्षिका एवं माता ने विक्रेता की विक्रीत भूमि खाता संख्या 01555 के खसरा संख्या 1660 कुल रकबा 0.3670 हैक्टेयर में से 0.0229375 हैक्टेयर भूमि जोकि विक्रेता का सम्पूर्ण हिस्सा है, स्थित ग्राम शाहपुर बम्हैटा, परगना डासना, तहसील व जिला गाजियाबाद के निमित्त निम्न विवरण के अनुसार विक्रय धनराशि विक्रेता के नाम में प्राप्त कर ली है।
12. उपरोक्त वर्णित विक्रीत भूमि का विक्रय प्रतिफल निम्नानुसार अदा किया जा रहा है:-

क्र. सं.	धनराशि (रु० में)	चैक संख्या	चैक दिनांक	विक्रेता का नाम
1	99,474/-	059637	15.03.2021	नितिन यादव नाबा० पुत्र स्व० चाहरराम द्वारा प्राकृतिक संरक्षिका एवं माता श्रीमती शोभा पत्नी श्री चाहरराम
2	1,88,603/-	059638	15.04.2021	नितिन यादव नाबा० पुत्र स्व० चाहरराम द्वारा प्राकृतिक संरक्षिका एवं माता श्रीमती शोभा पत्नी श्री चाहरराम
3	2,67,385/-	059639	15.05.2021	नितिन यादव नाबा० पुत्र स्व० चाहरराम द्वारा प्राकृतिक संरक्षिका एवं माता श्रीमती शोभा पत्नी श्री चाहरराम
4	2,67,385/-	059640	15.06.2021	नितिन यादव नाबा० पुत्र स्व० चाहरराम द्वारा प्राकृतिक संरक्षिका एवं माता श्रीमती शोभा पत्नी श्री चाहरराम

2021

For PARI TOWN COMPLEX PVT. LTD.

Authorized Signatory






5	2,67,385/-	059641	15.07.2021	नितिन यादव नाबा० पुत्र स्व० चाहतराम द्वारा प्राकृतिक संरक्षिका एवं माता श्रीमती शोभा पत्नी श्री चाहतराम
6	2,67,385/-	059642	15.08.2021	नितिन यादव नाबा० पुत्र स्व० चाहतराम द्वारा प्राकृतिक संरक्षिका एवं माता श्रीमती शोभा पत्नी श्री चाहतराम
7	2,67,383/-	059643	15.09.2021	नितिन यादव नाबा० पुत्र स्व० चाहतराम द्वारा प्राकृतिक संरक्षिका एवं माता श्रीमती शोभा पत्नी श्री चाहतराम


विक्रेता (नितिन यादव नाबा० पुत्र स्व० चाहतराम) की प्राकृतिक संरक्षिका एवं माता शोभा पत्नी स्व० चाहतराम नें उपरोक्त लिखित प्रतिफल के बैंक विक्रेता (NITIN YADAV UNDER GUARDIAN SHOBHA A/C NO. 0279104000153003) के नाम से प्राप्त किये है। जोकि विक्रेता के बैंक खाते में जमा किये जायेंगे तथा जिनका उपयोग सिर्फ और सिर्फ नाबालिग विक्रेता की पालन-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा, भलाई, कल्याण एवं भविष्य में उन्नति के लिए खर्च किये जायेंगे। इस बात की पूरी जिम्मेदारी विक्रेता की प्राकृतिक संरक्षिका एवं माता, श्रीमती शोभा पत्नी स्व० चाहतराम की होगी।

शोभा

For PARK TOWN COMPLEX PVT. LTD.



Authorized Signatory





SAJRA PLAN OF KHASRA NO.1660 VILLAGE SHAHPUR BAMHETA,
PARGANA DASNA, TAHSIL & DIST.:- GHAZIABAD
AREA- 0.0229375 HECT.

North : KHASRA NO. 1656
East : KHASRA NO.1662
South : KHASRA NO.1661 & 1659
West : KHASRA NO.1659 & 1633



SELLER:-


श्रीमान्

PURCHASER:-

For PARK TOWN COMPLEX PVT. LTD.

Authorized Signatory


ननाचन प्रलख न 2800/2021
के साथ प्रस्तुत किना
HOTO प्रिय
मानिग्रावण




Culsham


उपरोक्त सभी बैंक ऑफ इण्डिया शाखा प्रीत विहार, दिल्ली-110092 के जारी किये गये हैं एवं फरीक अब्बल की प्राकृतिक संरक्षिका एवं माता के द्वारा अंतिम रूप से प्राप्त कर लिये गये हैं कोई भी देय धनराशि बाकी नहीं रही है।


For PARK TOWN COMPLEX PVT. LTD.




(हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा)
फरीक अब्बल (विक्रेता)


Authorized Signatory
(हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा)
फरीक दायम (क्रेता)


गवाह नंबर - 1 Red Parkesh Garp
No 66 Chhara Ghuz
AC-175C Shalimar
Rajp 2-14th SR

गवाह नंबर - 2 Robin Tador no Ajay veer Singh
Tador Shohora Bernerda
Ghuzibani 

तहरीरी दिनांक 15/3/2021 मसौदा श्यामवीर सिंह एडवोकेट (रजिस्ट्रेशन
नम्बर-डी-1046/2001) चैम्बर नम्बर-71, तहसील कम्पाउण्ड गाजियाबाद, दूरभाष
मो0-9810331874



आवेदन सं०: 202100739032451

बही संख्या । जिल्द संख्या 17980 के पृष्ठ 53 से 84 तक क्रमांक
2500 पर दिनांक 15/03/2021 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ;

incomplete

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

Spur
संजीव कुमार शैतम प्रभारी

उप निबंधक : सदर प्रथम

गाजियाबाद

15/03/2021

